रोहिताश्व कुमार अग्रवाल
(बैनामा लेखक)
GF-4, तहसील दादरी, गौतम बुद्ध नगर
मो० 09412312730 09927750548

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP51862919096011W

e-Stamp

IV-32

Name : VIJAY KUMAR
Code : UP14044004, Lic No-47/18
Tehsil-Dadri, G.B. Nagar (M)-8595453118

Certificate No.	:	IN-UP51862919096011W
Certificate Issued Date	:	01-Feb-2024 05:47 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14044004/ DADRI/ UP-GBN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1404400499877679182030W
Purchased by	:	RAKSHA EDUCATIONAL AND SOCIAL WELFARE TRUST
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	RAKSHA EDUCATIONAL AND SOCIAL WELFARE TRUST
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	RAKSHA EDUCATIONAL AND SOCIAL WELFARE TRUST
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	750 (Seven Hundred And Fifty only)

सत्यमेव जयते

E-STAMP LOCKED

Please write or type below this line

रोहिताश्व कुमार अग्रवाल
(बैनामा लेखक)
GF-4, तहसील दादरी, गौतम बुद्ध नगर
मो० 09412312730 09927750548

Anita

RD 0026334546

Statutory Alert:

न्यास विलेख

यह विलेख 2 फरवरी 2024 का श्रीमती अनिता यादव पत्नी श्री महेन्द्र यादव निवासी खोडा, गाजियाबाद (आधार सं0–**XXXX-XXXX-7572**) संस्थापक/अध्यक्ष (जो कि अभिव्यक्त करता है जब तक कि विरूद्ध या असंगत विषय या संदर्भ मायने उनके वारिसान, निष्पादन एवं प्रशासक) का प्रथम पक्ष

और

1– मोनटी पुत्र श्री सुदेश यादव निवासी खोडा, गाजियाबाद

2– राहुल यादव पुत्र श्री बुद्ध प्रकाश निवासी 18, सराय झाझन–3, सिकन्द्रबाद, जिला बुलन्दशहर।

इसके पश्चात ट्रस्टी/न्यासी (जो कि अभिव्यक्त करता है जब तक कि विधि विरूद्ध या असंगत विषय या संदर्भ मायने उनके वारिसान और न्यासियों के रहते हुये मौजूद और वारिसान, निष्पादन एवं प्रशासक के आखिरी जीवित न्यासी) के द्वितीय पक्ष यह कि संस्थापक/अध्यक्ष श्रीमती अनिता यादव पत्नी श्री महेन्द्र यादव निवासी खोडा, गाजियाबाद स्थिर चित्त, धार्मिक, सामाजिक सुधार, हित–उत्थान, शिक्षा के प्रचार–प्रसार के उत्सुक व्यक्ति हैं। इसके लिए न्यास की स्थापना के लिए इच्छा रखते हुए 11,000/– रू0 (ग्यारह हजार रू0 मात्र) न्यास विलेख की पूर्ति व निर्मित होने के लिए दिये। अब यह विलेख साक्षी है कि इस इच्छा पूर्ति के कार्यान्वयन के लिए और प्रतिफल में परिसर सहमत है और निम्न घोषणा करते हैं –

क– न्यास का नाम – **" रक्षा एजूकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट "** (इसके बाद न्यास का नाम न्यास उल्लिखित भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट 1882 के अन्तर्गत होगा।)

ख– न्यास का पंजीकरण कार्यालय **खसरा नं–161, ग्राम युसुफपुर चकशाहबेरी, तहसील दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उ0प्र0** –स्थित होगा या इस प्रकार के अन्य स्थान पर जैसा कि न्यासी समय–समय पर सहमत होंगे।

Anita

आवेदन सं०: 202400742007436

न्यास पत्र

बही स०: 4 | रजिस्ट्रेशन स०: 32 | वर्ष: 2024

प्रतिफल- 11000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 180

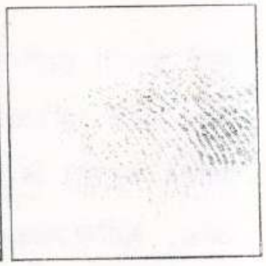

श्रीमती अनीता यादव ,
पत्नी श्री महेन्द्र यादव
व्यवसाय : अन्य
निवासी: खोडा कालोनी, गाजियाबाद

Anita

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 02/02/2024 एवं 12:54:02 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विकास गौतम .
उप निबंधक :दादरी
गौतम बुद्ध नगर
02/02/2024

उमेश मोहन .
निबंधक लिपिक
02/02/2024

प्रिंट करें

ग– न्यास का कार्यक्षेत्र–समस्त भारत वर्ष होगा।

1. न्यास की निधि एवं संपत्तियाँ –

'न्यास' की निधि एवं संपत्तियाँ मिलकर बनेगी जैसे –

अ– व्यवस्थापक/संस्थापक द्वारा निश्चित की गई राशि 11,000/–रू0 (ग्यारह हजार रुं मात्र)

ब– दान, चंदा, वसीयती संपदा, नगदी या वस्तु के रूप में, जो कि न्यास के सदस्यों जनता का कोई व्यक्ति व्यवसायिक संस्थान, सहयोजन, न्याय कस निगमित संस्था, सरकार द्वारा सभी या किसी भी उद्देश्य या विषय के लिए प्राप्त हुआ हो।

स– चल–अचल संपत्ति जो न्यास द्वारा क्रय, अधिग्रहित, बदले में पट्टे या किसी भी जरिये से।

द– आय व लाभ न्यास की संपत्ति से।

य– कोई शुल्क प्रकार आदि जो कि जनता से लिया गया हो या कलाकार के द्वारा प्रदर्शन, खेल, प्रदर्शनी, मेले द्वारा इकट्ठा किया गया धन–संपदा आदि।

न्यास के लक्ष्य और उद्देश्य

न्यास का उद्देश्य शिक्षार्थ, पुण्यार्थ, जन समाज सहायतार्थ व उत्थानार्थ है, जैसा कि न्यासी सोचते हैं; जो निम्नवत् है –

1. न्यास द्वारा समाज के सभी बच्चों के लिए सभी प्रकार के शिक्षण संस्थानों, प्रशिक्षण व अध्ययन केन्द्रों की स्थापना करना व कराना।

2. समाज के सभी वर्ग, धर्म के बच्चों व व्यक्तियों के लिए पुस्तकालयों, धार्मिक पत्रिकाओं, प्रतियोगिता पत्रिकाओं, सामाजिक उत्थान के लिए पत्रिकाओं व समाचार पत्र को छापना, प्रकाशित करना व करवाना।

Anita

आवेदन सं०: **202400742007436**

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 32 वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: **1**

श्रीमती अनीता यादव, पत्नी श्री महेन्द्र यादव

निवासी: खोडा कालोनी, गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य Anita

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : **1**

श्री राहुल यादव , पुत्र श्री सुदेश यादव

निवासी: 82, खोडा कालोनी, गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य Rahulyadav

पहचानकर्ता : **2**

श्री सुखराम सिंह , पुत्र श्री छुटकन सिंह

निवासी: आर0सी0–103, चंदना एन्कलेव, खोडा कालोनी, गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

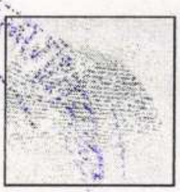

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विकास गौतम .
उप निबंधक : दादरी
गौतम बुद्ध नगर
02/02/2024

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

उमेश मोहन .
निबंधक लिपिक गौतम बुद्ध नगर
02/02/2024

प्रिंट करें

3. जरूरतमंदों व योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृति, शिक्षण सामग्री, ड्रेस व छात्रावास आदि प्रदान करना व करवाना।

4. मेधावी बच्चों को उनके किसी भी योग्यता के लिए प्रोत्साहित करना व बुद्धिजीवी व समाजहित में कार्यरत व्यक्तियों को पुरस्कृत व सम्मानित करना।

5. बच्चों को उनके किसी भी क्षेत्र में भविष्य बनाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना व उचित व्यवस्था करना जैसे खेल मैदान, खेल, नृत्य, गायन, वादन, कंप्यूटर आदि।

6. सभी प्रकार की सुविधा उपरोक्त क्रम संख्या के अनुसार व अन्य शेष कार्य जो उनके भविष्य को व राष्ट्र निर्माण में हितकारी हो निःशुल्क व उचित शुल्क पर प्रदान करना।

7. गरीब असहाय व सभी को आश्रय स्थल, सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य कैंप, रक्तदान कैंप, एम्बुलेंस, शववाहन, अस्पताल, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, आदि निःशुल्क व न्यूनतम शुल्क में तथा विधवा, निराश्रितों, वृद्धा पेंशन आदि प्रदान करना।

8. किसी भी आपदा, युद्ध विभिषिकाओं के दौरान राहत कैंप, भोजन, कपड़ों, डॉक्टर, दवाइयों की व्यवस्था करना।

9. समाज के उत्थान व प्रगति के लिए समय-समय पर प्रदर्शनी, मेलों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सत्संग व बुद्धिजीवियों व विद्वानों द्वारा प्रवचन व भजनों, कवि सम्मेलनों, शहीदों, क्रांतिकारियों तथा देश के सैनिकों हेतु राष्ट्रीय पर्वो का आयोजन, गाँवों की सड़कों की मरम्मत, गेटों का निर्माण व नामकरण आदि करना।

10. शिक्षा के प्रसार व न्यास के उद्देश्य पूर्ति के लिए किसी भी न्यास की किसी भी शाखा को व अन्य किसी भी संस्थान को न्यास द्वारा अन्य किसी सोसाइटी व ट्रस्ट को तथा उसकी चल-अचल संपत्ति को अपने में पूर्ण व आंशिक रूप से अनुबंध के अनुसार समाहित करना, गोद लेना व सहायता देना।

Anita

चेयरमैन को छोड़कर निम्न प्रथम न्यासी होंगे।

क्र. स.	नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय	आधार सं0
01	श्रीमती अनिता यादव पत्नी श्री महेन्द्र यादव	खोडा, गाजियाबाद	अध्यक्ष	व्यापार	XXXX-XXXX-7572
02	मोनटी पुत्र श्री सुदेश यादव	खोडा, गाजियाबाद	सदस्य	व्यापार	XXXX-XXXX-8148
03	राहुल यादव पुत्र श्री बुद्ध प्रकाश	18, सराय झाझन-3, सिकन्द्रबाद, जिला बुलन्दशहर।	सदस्य	व्यापार	XXXX-XXXX-9178

3. अ) न्यासी की संख्या किसी भी कारण से (3) तीन से कम होने पर शेष न्यासी नए न्यासी चुन सकते हैं। व पद पर भी नियुक्त कर सकते हैं।

ब) न्यास का स्थाई सदस्य अध्यक्ष होगा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उसका कार्यभार संभालेगा या न्यासीगण किसी भी न्यासी को कार्य संपन्न व हर बैठक के लिए अध्यक्ष चुन सकते हैं।

स) न्यास के सभी सदस्य अपने जीवनकाल तक न्यास के सदस्य रहेंगे। बोर्ड के द्वारा यह निश्चय किया गया कि न्यासी की मृत्यु के उपरांत न्यासी के परिवार के सदस्य को ही न्यासी नियुक्त किया जायेगा।

द) न्यासी द्वारा बोर्ड की बैठक वर्ष में छः-छः माह में दो बार होनी निश्चित है तथा किसी न्यासी के लिखित प्रार्थना - पत्र तथा आवश्यकता पर अध्यक्ष द्वारा कभी भी बैठक बुलाई जा सकती है। बैठक की सूचना 8 दिन पूर्व सभी न्यासियों को डाक द्वारा, ई-मेल द्वारा अथवा फोन संदेश द्वारा भेजी जायेगी।

ड) किसी भी बैठक के लिए (2/3) दो तिहाई बहुमत होना आवश्यक है तभी प्रस्ताव पास किया जा सकेगा। उपस्थित सदस्यों के बराबर मत होने पर निर्णायक मत अध्यक्ष का होगा। अध्यक्ष के अपने मत देने के उपरांत ही प्रस्ताव पास किया जायेगा।

Anita

4. इस विलेख द्वारा न्यास के पास स्वतः की पूर्ति के उपरांत पैसे बचते हैं तो न्यासियों को वास्तविक यात्रा भत्ता, न्यास की बैठक या सब कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए व बैठक पर खर्च किया जा सकेगा, किंतु न्यासियों को यह अधिकार नहीं होगा कि वह अपने निजी कार्यों पर न्यास की आमदनी खर्च कर सके।

5. न्यासी बोर्ड समयानुसार न्यास के नियम-उपनियम न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व अन्य संस्थान जिन का प्रबंध न्यास द्वारा किया जाता है, अन्य व्यवस्थापन समितियों, कमेटी, उपसमिति गठित कर सकते हैं। न्यास के उद्देश्यों व उद्देश्य की पूर्ति के उपरांत उन्हें भंग कर सकते हैं, न्यासियों व बाहरी व्यक्तियों को दे सकते हैं।

6. न्यास की किसी संपत्ति को खरीद, उसे बनाने, किराये पर देने-लेने, बंधक रखने, भारित करने, ऑटर्नी या क्षतिपूर्ति किसी शर्त-समय अवधि के लिए दी जा सकती है जैसा न्यासी उचित समझे।

7. न्यास की उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी समझौते, शासन, परित्याग, मध्यस्थता वाद सुलझाने, किसी संस्था का रख-रखाव, बंदोबस्ती, लिखित संरचना, प्रबंधन, नियुक्ति कराना व अन्य कार्य करने पर नुकसान का दायित्व जिम्मेदारी से करने पर न्यासी की कोई जवाब देही नहीं होगी।

8. न्यास के उद्देश्यों के लिए यदि किसी भी प्रकार का ऋण चाहे सरकारी निजी संस्थाओं या व्यक्ति से लिया गया हो तो उसके लिए सभी न्यासीगण जवाबदेही होंगे। उन्हीं से ऋण वसूला जायेगा।

9. न्यासी न्यास की प्रगति व उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम न्यासियों में से ही वेतन पर नियुक्त कर सकेंगे।

10. आयकर की धारा व शर्तों के अनुसार 80 जी 11 आयकर अधिनियम, 1961 में मूल संशोधन पुनः निर्गमित समयानुसार लागू हो या न हो। यद्यपि ऐसा संशोधन न्यासियों की बैठक के उपरांत प्रस्ताव द्वारा किया जायेगा तथा न्यासी लाभ हेतु इसे माने या ना मानें ।

Anita

11. न्यासी आय को आयकर अधिनियम, 1961 की धाराओं 11, 12 और 13 के अंतर्गत कर से पूर्ण रूप से मुक्त हो। इस प्रकार की अन्य धाराओं या उपनियमों जो कि समय-समय पर संशोधित हो।

न्यासियों का निवर्तन

1. कोई भी न्यासी एक माह की लिखित नोटिस देकर निवृत्त हो सकता है।
2. न्यासी स्वयं सदस्यता निवृत्त हो जायेगा यदि -
   अ) मृत्यु या त्यागपत्र या रूचि न होने पर।
   ब) मानसिक रूप से विक्षिप्त होने पर।
   स) दिवालिया हो जाने पर या इसके लिए आवदेन करने पर।
   द) यदि किसी अपराध के कारण छः माह से अधिक का सजायाफता होने पर।
   य) यदि निरंतर 2 बैठक में बिना सूचना के अनुपस्थित होने पर ।
3. यदि कोई न्यासी, न्यास के उद्देश्यों को ठेस पहुँचाता हो व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष न्यास की छवि धूमिल कर रहा हो तो बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है।

रिक्तियों की पूर्ति

न्यासी की रिक्त की पूर्ति केवल न्यास के अध्यक्ष द्वारा की जा सकेगी तथा अध्यक्ष द्वारा ही उन सदस्यों का नामांकन किया जायेगा।

Anita

लेखा व हिसाब के रख-रखाव की किताबें

1. न्यास का आय-व्यय लिखित में रखना होगा।
2. लेखा-हिसाब की किताबों को न्यास के कार्यालय पर रखा जायेगा और अन्य संस्थाओं पर जहाँ बोर्ड फैसला करेगा समय-समय पर सभी किताबें न्यासियों के निरीक्षण के लिए हमेशा खुले रहेगें।
3. न्यास के आय-व्यय का हिसाब न्याय के कोषाध्यक्ष द्वारा तैयार किया जायेगा। जिसे प्रत्येक वित्त वर्ष में न्यास द्वारा नियुक्त चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा पुस्तकों को ऑडिट किया जायेगा। जिसे न्यास की बैठक में पेश किया जायेगा।

विशेष उपबंध

न्यास भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अनुदेश व आदेश का पालन करेगी एवं सी.बी.एस.ई. संबद्धता में भी।

1. बोर्ड के साथ न्यास की मान्यता व नियमों में संशोधन का समय-समय पर नवीनीकरण किया जायेगा।
2. एक सदस्य शिक्षा निदेशालय का भी प्रबंधन समिति में नामित होगा।
3. एस0सी0/एस0टी0 और ओ0बी0सी0 वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को 10 प्रतिशत दाखिला दिया जायेगा और उनसे माध्यमिक/बेसिक शिक्षा परिषद् की आज्ञानुसार शुल्क लिया जायेगा।
4. भारत सरकार एवं राज्य सरकार से कभी भी किसी भी प्रकार की सहायता या सहयोग नहीं ली जायेगी। यदि संस्था उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद् से पहले से मान्यता प्राप्त है तब भी।
5. सी.बी.एस.ई. दिल्ली और आई.सी.एस.ई. बोर्ड से मान्यता प्राप्ति के उपरांत प्रदेश शिक्षा परिषद् की मान्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
6. संस्था अपने कर्मचारियों को वेतन संबद्ध विभागों द्वारा तय किए गए मापदंडों के अनुसार करेगी।
7. संस्था अपने कर्मचारियों के वियोजन की सेवा शर्तो का ब्यौरा रखेगी और सेवानिवृत्त लाभ जो नियमों के अनुसार लागू होंगे स्वीकृत करेगी।

Anita

8. संस्था भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करेगी।

9. अभिलेख को संबद्ध एवं प्राधिकरण के आदेशों द्वारा दृढ़तापूर्वक अनुसंरक्षण किया जायेगा।

10. उपरोक्त नियम और शर्तो का संशोधन और रजिस्ट्री-करण बिना संबंधित विभाग की अनुमति के नहीं किया जायेगा।

न्यासीगण एवं संस्थापक/ अध्यक्ष/ सचिव/ कोषाध्यक्ष

1. संस्थापक के मायने न्यास के अध्यक्ष (श्रीमती अनीता यादव)।
2. न्यासी मायने न्यास विलेख के समय या बाद में नियुक्त सदस्य।
3. बोर्ड का अर्थ न्यासीगण का संगठन।
4. न्यास के व्यवस्थापक/ सचिव/ कोषाध्यक्ष/ प्रबंधक की नियुक्ति न्यासीगण के बोर्ड द्वारा समय-समय पर की जायेगी। जैसा न्यासी समझें या न्यास को जरूरत हो।
5. बोर्ड इस न्यास विलेख के उपबंधों के अंतर्गत अपनी कोई भी शक्ति कमेटी को जो कि इसका भाग हो, जैसा वह ठीक समझें दे सकता है।

बैंक खातों का संचालन

अध्यक्ष- एकल रूप से खाता खोलने की शक्ति होगी। न्यास के वास्ते चैकों पर हस्ताक्षर, खातों का संचालन करने, धन को पाने पृष्ठांकन करने का लिखित लेना या निर्गमन करना उन्हीं बिल या किसी व्यक्ति/व्यक्तियों को ऐसी सभी शक्तियों के इस्तेमाल करने के लिए प्राधिकृत करना।

Anita

न्यास विलेख रजिस्टर्ड होने तक न्यास किसी भी चल-अचल संपत्ति का स्वामी नहीं है।

गवाह -1

राहुल यादव पुत्र श्री सुदेश यादव

निवासी 82, खोडा, गाजियाबाद।

आधार कार्ड नं-XXXX-XXXX-3986

गवाह -2

सुखराम सिंह पुत्र श्री छुट्टकन सिंह

निवासी आर0सी0-103, वंदना एन्कलेव, खोडा कालौनी, गाजियाबाद।

आधार कार्ड नं-XXXX-XXXX-8193

तारीख 02-02-2024 ई0 रोहिताश्व कुमार अग्रवाल, (लाइसेन्स नं-24) जी0एफ0-04, जिला परिषद् बिल्डिंग, तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्धनगर, मो0-9412312730, 9927750548

रोहिताश्व कुमार अग्रवाल
(बैनामा लेखक)
GF-4, तहसील दादरी, गौतम बुद्ध नगर
मो० 09412312730 09927750548

आवेदन सं०: 202400742037436

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 693 के पृष्ठ 301 से 326 तक क्रमांक 32 पर दिनाँक 02/02/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विकास गौतम .
उप निबंधक : दादरी
गौतम बुद्ध नगर
02/02/2024

प्रिंट करें